Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे.; कुल 0.828 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya Raipur

Date : 14 -11-2022

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–10/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/11/2022

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय :– आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी तट पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 0.828 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–908/1803, दिनांक 26.07.2022 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–908/2354, दिनांक 13.10.2022।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु उदन्ती –सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे.; कुल 0.828 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।	1
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–FP/CG/Others/149523/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 02.02.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रूपये कुल 24,000 रूपये जमा कराया गया है।	2 – 10
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे. कुल 0.828 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।	11

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	12
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	13–14
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे.; कुल 0.828 हे. वन भूमि हेतु आवेदित वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	15–19
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु उदन्ती –सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे. कुल 0.828 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 8 करोड़ 22 लाख रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.4 तक है।	20–27
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु उदन्ती –सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे.; कुल 0.828 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है।	28–39
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक 351 रकबा 0.418 हे. एवं कक्ष क्रमांक 353 रकबा 0.410 हे. कुल 0.828 हे. प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	40
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मांग न्यूनतम है तदाशय का उप निदेशक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद का न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	41
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण संरक्षण,मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु 7 (एफ) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का उप निदेशक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद एवं आवेदक संस्थान का हस्ताक्षरयुक्त संयुक्त प्रतिवेदन एवं भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 14.09.2006 की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।	42–60
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) –** प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु वृक्षों का विदोहन नहीं हो रहा है।	61

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** प्रस्तावित रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु चूंकि परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 01.08.2017 की प्रति संलग्न है।	62–68
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)–राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि प्रभावित नहीं होने से गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि के (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) की आवश्यकता नहीं है।	69
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 0.828 हे. आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।	70
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** प्रस्तावित रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 0.828 हे. आरक्षित वन भूमि पर चूंकि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि 1.00 हे. से कम है। अतः उक्त कार्य के एवज में 100 नग वृक्ष रोपित करने हेतु निर्धारित राशि का भुगतान आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा। तदाशय का उप निदेशक उदन्ती–सीतानदी एवं आवेदक संस्थान का हस्ताक्षरयुक्त संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	71–95
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित क्षेत्र के एवज में 100 नग पौधें रोपित करने हेतु उप निदेशक उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	96
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** उप निदेशक उदन्ती–सीतानदी टाईगर रिजर्व, गरियाबंद के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	97
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** उप निदेशक उदन्ती–सीतानदी के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	98
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	99
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** आवेदित वन भूमि 0.828 हे. के एवज में 100 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	100
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	101
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	102
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	103

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित रतावा–बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	104
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** प्रपत्र–3 पर उप निदेशक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद द्वारा दि.29.03.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। उप निदेशक, उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 29.03.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	105–114
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल या मूर्ति चिन्ह नहीं है। तदाशय का उप निदेशक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	115
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	116–133
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व हेतु गरियाबंद एवं धमतरी जिले के कुल अधिसूचित वन भूमि 2135.5412 वर्ग कि.मी. है।	134
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत 04 प्रकरण रकबा 19.440 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	135
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तित नहीं की गई है।	136–137
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं हो रही है।	138
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	139
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर धमतरी द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दि. 19.04.2022 को जारी किया गया है।	140–162
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु कलेक्टर, जिला धमतरी का राजस्व वन भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	163
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	164

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	165
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** प्रस्तावित 0.828 हे. वन भूमि मार्ग का चौड़करण एवं उन्नयन कार्य में भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू–क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।	166
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।	167
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	168
41	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	169–171
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निमाण के संबंध में मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर के अभिमत पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा दिनांक 25.01.2022 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय की गई है।	172–175
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** विद्युत लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं।	176
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।	177

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

Rajput 15.11.22

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 6

पृ.क्रमांक एफ—5—10/2022/10—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 /11/2022

प्रतिलिपिः—

1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ, ।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, ।

3.क्षेत्रीय निदेशक, उदन्ती—सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

4.उप निदेशक, उदन्ती—सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद, छत्तीसगढ़ ।

5.कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग